IJMRSETM

e-ISSN: 2395 - 7639

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Volume 7, Issue 11, November 2020

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.580

+91 99405 72462 +9163819 07438 ijmrsetm@gmail.com www.ijmrsetm.com

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 7, Issue 11, November 2020

लोक कल्याण की भावना

Dr. Pooja Verma

Dept. of Hindi, KSBD PG College, Kanpur, India

सार

आज के इस संक्रांति काल के दौर में मानव को पुरानी सभ्यता के प्रति मोह तो है,पर वह नयी सभ्यता में लिप्त हैं। वह ईश्वर के अस्तित्व को मानता तो है। परन्तु अनास्था की साँस लेकर दुविधाग्रस्त भी है। उसके मन में अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान तो है लेकिन नयी पीढ़ी के आगे किंकर्तव्यविमूढ़ भी सा वह दिखता हैं। आज के मानव के मन में अपनी प्राचीन ज्ञान-विज्ञान के प्रति ललक तो है परन्तु सही मार्गदर्शन के बिना वह हताश,निराश और उदास सा भी हैं। इस भागदौड भरी जिन्दगी में क्या उसने दो क्षण रूककर कभी सोचा है या फिर विचार किया है कि वह अपने पूर्वजों की सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिये क्या कर रहा है.
वर्तमान की इस शिथिलता और उदासीनता से मानव की आँखों के सामने, उसकी आने वाली पीढ़ी उच्छृंखल होती जा रही है। ईश्वर और धर्म का डटकर मखौल उड़ाया जा रहा है। अनुशासन और नियमों की मान्यता समाप्त सी हो गयी है, और उसकी विचारधारा ,दर्शन, चिन्तन, मनन आदि के प्रति घृणा के स्तर तक पहुँच चुकी है और मानव हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ हैं। इस सबका मूल कारण उसका अधार्मिक व अमर्यादित होना है क्योंकि आज स्वार्थ-सिद्धि ही उसका शायद परम धर्म हो गया है जबकि सत्य, सनातन केवल वैदिक-संस्कृति ही है। आज वैदिक-संस्कृति ही सत्य, सनातन है क्योंकि मानव और उसकी सभ्यता के बारे में सबसे प्राचीन इतिहास भी इसी संस्कृति की देन है। जिसमें ऋषियों द्वारा मानव समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिये मर्यादित आचरण की व्यवस्था दी गयी, जबकि आज के युग में मर्यादा का सर्वथा अभाव है। यही कारण है कि कालान्तर से आज तक वैदिक-संस्कृति ने अपने अस्तित्व को बनाये रखा है-जो आश्चर्यजनक परन्तु अटल सत्य भी है।बालसंत पंकज आत्रेय ने कहा कि गोवंश की रक्षा में लोक कल्याण की भावना निहित है। गाेवंश के संरक्षण में मानव जाति का भला होगा। आत्रेय शनिवार को प्रतिभानगर स्थित बगड़िया बगीची में गो संरक्षण के निहितार्थ आयोजित भागवत कथा में प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गाय की रक्षा के लिए मानव कदम बढ़ाएगा तो इससे लोक कल्याण ही होगा।

परिचय

हाल ही में चिली में हुए राष्ट्रपति चुनाव में गेब्रियल बोरिक ने विजय प्राप्त की। ध्यातव्य हो कि गेब्रियल बोरिक का चुनावी एजेंडा चिली में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। चिली में हुए हालिया राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम अप्रत्याशित रहे। वामपंथी विचारधारा तथा कल्याणकारी राज्य के समर्थक गेब्रियल बोरिक 56% से अधिक मत प्राप्त कर चिल्ली के सर्वाधिक कम उम्र (मात्र 35 वर्ष) के राष्ट्रपति बने। वामपंथ के समर्थक माने जाने वाले बोरिक ने राष्ट्रपति बनते ही चिल्ली में सामाजिक अधिकारों की वृद्धि की घोषणा की है। बोरिक के समर्थक इस जीत को फांसीवाद तथा नव-पूंजीवाद पर कल्याणकारी राज्य के अवधारणा की जीत बता रहे हैं। इस जीत से वैश्विक स्तर पर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बलवती होती प्रतीत हो रही है। डॉक्टर आशीर्वादन के शब्दों में "लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसका कार्यक्षेत्र इस प्रकार से विस्तार हो कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके।"इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जनता के संपूर्ण विकास तथा सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हुए अवसर तथा प्रतिष्ठा की समानता स्थापित करना है। यह व्यवस्था समाज आधारित व्यवस्था है जहां व्यक्ति नहीं बल्कि समाज लोकनीति के केंद्र में होता है।[1]

लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं

- यह अवधारणा व्यक्तिवादी सिद्धांत के विरुद्ध है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य को वे सभी कार्य करने हेतु प्रेरित करती है जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप न करते हुए जनता का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।
- राज्य पद्धति के रूप में लोक कल्याणकारी राज्य लोकतंत्र की तरफ झुकाव रखता है। राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, अथवा कुलीन तंत्र में सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले अधिकारों का अभाव होता है।

IJMRSETM

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 7, Issue 11, November 2020

- लोक कल्याणकारी राज्य में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाती है। जबकि इन्हे प्राप्त करने के लिए समानता, स्वतंत्रता जैसे साधनों का प्रयोग किया जाता है।
- लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा में धर्म, जाति, मूल, लिंग इत्यादि के आधारों पर विभेदन किए बिना सभी को महत्व प्रदान करना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में यह सामाजिक समानता को महत्व देता है।
- लोक कल्याणकारी राज्य के आर्थिक आधारों में सभी को रोजगार के अवसर, संपत्ति तथा आय का समान वितरण, धन के केंद्रीकरण में कमी, न्यूनतम पारिश्रमिक का आश्वासन इत्यादि सम्मिलित होता है।
- लोककल्याणकारी राज्य में कृषि, उद्योग तथा व्यापार का नियमन राज्य के दायित्व के अंतर्गत आता है। इस व्यवस्था में राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सार्वजनिक सुविधा तथा समाज सुधार के लिए मुख्य कारक तथा नियंत्रक है।

लोक कल्याणकारी राज्य के आलोचना

- लोक कल्याणकारी राज्य में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया जाता है। इसमें राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है जिससे राज्य के अधिनायकवादी तथा स्वेच्छाचारी होने की संभावनाएं रहती हैं।
- यह मानववाद की अवधारणा, जिसमें मनुष्य को साध्य माना गया है, का विरोध करता है।
- लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में नौकरशाही के प्रभावी होने की संभावना प्रबल रहती है। जिससे एक अलग प्रकार का वर्ग विभाजन जन्म ले लेता है।
- आर्थिक संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण के कारण अकर्मण्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती है। अधिकांश जनता बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करती है। इस अवस्था में ये उद्‌यम के प्रति निष्क्रिय हो जाते हैं जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से राजकोष पर निर्भर हो जाती है।

भारत: एक लोक कल्याणकारी देश के रूप में

- भारत की राजव्यवस्था को संचालित करने का सर्वप्रमुख स्रोत भारतीय संविधान है तथा भारतीय संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो भारत को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में संदर्भित करते हैं।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता समानता जैसे आयाम की स्थापना इसे लोक कल्याणकारी राज्य बनाती है।
- भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 समानता के अधिकार से संबंधित हैं, जो लोक कल्याणकारी राज्य का एक आयाम है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (a) में अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से प्रेरित है। इसी के साथ ही साथ अनुच्छेद 23 तथा 24 में वर्णित शोषण के विरुद्ध अधिकार भी लोक कल्याण की भावना से ही प्रेरित है।
- भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐसे कई उपबंध है जो लोक कल्याणकारी राज्य की भावना को प्रदर्शित करते हैं यह उपबंध निम्न है :-

  - समान कार्य के लिए समान वेतन।
  - धन के संकेंद्रण से संरक्षण।
  - राज्य द्वारा कतिपय मामलों में दी जाने वाली सहायता।
  - प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।
  - मातृत्व लाभ की अवधारणा।
  - पूर्व बाल्यकाल की देखभाल।

- संवैधानिक उपबंध के अतिरिक्त कार्यकारी योजनाओं यथा वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा नीति 2019 तथा नवीन स्वास्थ्य नीति 2017 के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि भारत लोक कल्याणकारी राज्य है।

यद्यपि भारत द्वारा 1991 में आर्थिक सुधारो को स्वीकार कर उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की तरफ बढ़ने से कई आलोचकों ने यह कहा था कि भारत लोक कल्याणकारी पथ से भटक चुका है और वर्तमान समय में एयर इंडिया, आईडीबीआई, इत्यादि सार्वजनिक उपक्रमओ के विनिवेश भी इसी बात का संकेत दे रहे हैं।

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 7, Issue 11, November 2020

परंतु कोरोना महामारी के प्रभाव से निदान में सरकार के प्रयास के रूप में आत्मनिर्भर भारत योजना, श्रमिकों की स्थिति सुधार के लिए बनाए जाने वाले श्रमिक संहिता, कृषि में सुधार के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि में किया जाने वाला सार्वजनिक निवेश यह स्पष्ट करता है कि भारत लोक कल्याणकारी राज्य के मार्ग से पथ भ्रमित नहीं हुआ है। बता दें कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है जहां एक तरफ सभी को आर्थिक उन्नति प्राप्त करने का अवसर है वहीं दूसरी तरफ सुभेद्य वर्ग के के लिए सरकार व्यवस्था करती है। इस प्रकार भारत में पूंजीवाद तथा समाजवाद दोनों के ही अच्छे गुणों को स्वीकार कर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सुनिश्चित किया गया है। हाल ही में प्रकाशित हुई वैश्विक असमानता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 50% गरीबतम जनसंख्या मात्र 8% वैश्विक संपत्ति को धारण करती है वहीं 10% अमीर व्यक्ति 52% वैश्विक संपत्ति को धारण करते हैं। असमानता की इस अवस्था में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा एक उन्नत अवधारणा है। यद्यपि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साम्यवादी अवधारणा का अनुचर माना जाता है परंतु साम्यवाद के बिना भी लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित किया जा सकता है। भारत ने इसका बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस अवस्था में हम यह कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर लोक कल्याण के मार्ग को स्वीकारा जा रहा है ऐसे में लोक कल्याण का भारतीय मॉडल एक बेहतर उदाहरण बन सकता है।[2]

विचार-विमर्श

श्रमण संघ के चतुर्थ आचार्य पूज्य श्री उमेशमुनिजी ने मानव मात्र के कल्याण तथा आत्मोद्धार की भावना से विशिष्ट शैली में कई उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की। श्रमण संघ के चतुर्थ आचार्य पूज्य श्री उमेशमुनिजी ने मानव मात्र के कल्याण तथा आत्मोद्धार की भावना से विशिष्ट शैली में कई उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की। संपूर्ण जैन जगत में श्रेष्ठ क्रिया, विशिष्ट साहित्य की रचना और सरलता के लिए प्रसिद्ध पूज्य उमेशमुनिजी अनेक कष्ट और संयम जीवन की व्यस्ततम दिनचर्या के बावजूद लोक कल्याण की भावना से लेखनी को विराम नहीं देते थे। आपकी दिनचर्या रात 3 बजे से शुरू हो जाती थी। रात 3.30 बजे से ही सैकड़ों गाथाओं का स्वाध्याय, उभयकाल प्रतिक्रमण, प्रार्थना, प्रवचन, ध्यान, दोपहर में शिष्यों को वाचनी के साथ ही कठिन तप, उत्कृष्ट साधना और शरीर का ममत्व त्यागकर रसना पर विजय प्राप्त करते हुए मानव मात्र के आत्मोद्धार की भावना से प्राकृत तथा हिन्दी भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। जो संपूर्ण जैन समाज के साधु व श्रावक वर्ग के लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैनेतर विद्वान भी आपके ग्रंथों को पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं। अपने अंतिम समय के कुछ समय पूर्व अस्वस्थता के बावजूद आपने अपनी लेखनी से यह पालकी बनी उपकारी काव्य के माध्यम से अपने शिष्यों की सेवा और समर्पण के प्रति अपनी भावना प्रकट कर आशीर्वचन देते हुए। उन शिष्यों के सांसारिक माता-पिता के प्रति भी बहुमान के भाव प्रकट किए।

संपूर्ण देश में 40 केंद्रों पर हुई परीक्षा में 1300 से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित हुए

उमेशमुनिजी द्वारा रचित ग्रंथों का प्रकाशन मेघनगर की पूज्य श्री नंदाचार्य साहित्य समिति द्वारा किया जाता है। पूज्य श्री माधवाचार्य परीक्षा बोर्ड थांदला द्वारा उक्त ग्रंथों में से बनाए गए पाठ्यक्रम पर पूरे देश में प्रतिवर्ष परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। पूज्य माधवाचार्य परीक्षा मंडल के पाठ्यक्रम के आधार पर कक्षा 1 से 11वीं तक की परीक्षा इस वर्ष भी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में चालीस केन्द्रों पर आयोजित की गई। इसमें कुल 1300 से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। सभी परीक्षार्थियों को पूज्य श्री माधवाचार्य परीक्षा मंडल द्वारा प्रोत्साहन पुरस्कार वितरित किए गए। परीक्षा परिणाम आने पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी प्राप्त करने वाले सैकड़ों परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र तथा पुरस्कार भी पूज्य श्री माधवाचार्य परीक्षा मंडल द्वारा प्रदान किए जाएंगे। वर्तमान में प्रवर्तक पूज्य श्री जिनेन्द्रमुनिजी, अणुवत्स श्री संयतमुनिजी एवं तत्वज्ञ धर्मेन्द्रमुनिजी के दिशानिर्देशन में यह कार्य चल रहा है।

35 परीक्षार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया

इसी परिप्रेक्ष्य में मेघनगर में भी श्रीसंघ के सान्निध्य में इस परीक्षा का आयोजन हुआ। मेघनगर अणु स्वाध्याय भवन में करीब 35 परीक्षार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें अणु-सौभाग्य-सूर्य पाठशाला के बालक-बालिकाओं सहित अनेक श्रावक-श्राविकाओं ने भी भाग लिया। करीब 12 वर्ष पूर्व, श्रमणसंघीय आचार्य, धर्मदास गणनायक, जिनशासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री उमेशमुनिजी द्वारा श्री माधवाचार्य परीक्षा मंडल का पाठ्यक्रम तैयार किया गया। परीक्षार्थी अधिक होने पर स्थानीय स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाकर परीक्षा आयोजित की जाती है। श्रीसंघ के सान्निध्य में इस परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्ना हुआ। परीक्षा बोर्ड की ओर से थांदला निवासी वरिष्ठ स्वाध्यायी चंद्रकांत छाजेड़ व इशिका छाजेड़ को नियुक्त किया गया। कुशलतापूर्वक परीक्षा संपन्ना कराने के लिए श्रीसंघ ने अनुमोदन करके कृतज्ञता प्रेषित की। परीक्षा के समय संघ के पूर्व अध्यक्ष हंसमुखलाल वागरेचा, पंकज वागरेचा व विपुल धोका उपस्थित थे। आतिथ्य सत्कार का लाभ हंसमुखलाल वागरेचा परिवार ने लिया।[3]

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 7, Issue 11, November 2020

परिणाम

कुछ व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं और अपने सीमित अर्थ में उसके कार्यक्षेत्र को अधिक व्यापक नहीं बनाना चाहते । भूमि और जन के साथ निःसन्देह राज्य का होना अनिवार्य तत्त्व है ।

यह निश्चित रूप से सत्य है कि कोई भी राज्य अपने नागरिकों के लिए प्रत्येक क्षेत्र में सुख-सुविधाएं प्रदान करना चाहता है ।

अपने समस्त साधनों एवं शक्ति का उपयोग वह जनता की भलाई में करना चाहता है । यदि कोई राज्य इस तरह देश की सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कल्याणकारी योजनाओं को जनता को केन्द्र में मानकर लागू करता है, तो वह लोककल्याणकारी राज्य कहलाता है । लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा अत्यन्त प्राचीनकाल से ही हमारे देश में रही है । प्राचीन युग में राज्य को नैतिक कल्याण का साधन माना जाता था । रामायण काल में तो राम-राज्य की अवधारणा इसी लोककल्याणकारी राज्य के सिद्धान्त पर आधारित थी । हमारे धार्मिक अन्यों में यहां तक लिखा है कि राजा अपनी प्रजा का हित नहीं चाहता और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह नरक का अधिकारी होता है । चाणक्य हो या फिर अरस्तु या प्लेटो, इन्होंने भी लोक कल्याण कारी राज्य की अवधारणा को महत्त्व दिया है ।

लोक कल्याण कारी राज्य से तात्पर्य किसी विशेष वर्ग का कल्याण न होकर सम्पूर्ण जनता का कल्याण होता है । इस तरह सम्पूर्ण जनता को केन्द्र मानकर जो राज्य कार्य करता है, वह लोक कल्याणकारी राज्य

है ।

लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के सम्बन्ध में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस के विचार हैं: "लोककल्याणकारी राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है, जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन रत्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है ।" प्रो° एच°जे° लास्की के अनुसार: "लोककल्याणकारी राज्य लोगों का ऐसा संगठन है, जिसमें सबका सामूहिक रूप से अधिकाधिक हित निहित है ।"

लोककल्याणकारी के आदर्श स्वरूप के लिए निम्नलिखित लक्षण या विशेषताओं की आवश्यकता अनिवार्य है:

1.आर्थिक सुरक्षा: इसके बिना लोककल्याणकारी राज्य का कोई महत्त्व नहीं है; क्योंकि सबके लिए रोजगार. न्यूनतम जीवन की गारण्टी, अधिकतम आर्थिक समानता होनी चाहिए । यदि शासन तन्त्र में राजसत्ता आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न लोगों के हाथों में होगी. तो वह लोककल्याणकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आयेगा ।
2.राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था: लोककल्याणकारी राज्य को चाहिए कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि राजनैतिक शक्ति सम्पूर्ण रूप से जनता के हाथ में हो । शासन व्यवस्था लोकहित में हो ।
3. सामाजिक सुरक्षा: लोककल्याणकारी राज्य का प्रमुख लक्षण यह होना चाहिए कि वह सामाजिक सुरक्षा से साथ-साथ समाज में रंग, जाति, धर्म, सम्प्रदाय, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव न करे ।
4. राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि: राज्य को लोककल्याण सम्बन्धी वे सभी कार्य करने चाहिए, जिससे नागरिकों की स्वतन्त्रता प्रभावित न हो और वे अपने कार्यक्षेत्र में पूर्ण क्षमता एवं स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य कर सके ।[4]
5. विश्वशान्ति एवं वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना: लोककल्याणकारी राज्य का स्वरूप राष्ट्रीय न होकर अन्तर्राष्ट्रीय होता है । अत: राज्य विशेष को चाहिए कि वह विश्वकल्याण की भावना से सम्पूर्ण मानवता के लिए कार्य करे ।
4. लोककल्याणकारी राज्य के कार्य: लोककल्याणकारी राज्य के कार्य को मोटे तौर पर दो भागों: 1. अनिवार्य कार्य और 2. ऐच्छिक कार्य-में विभाजित किया जा सकता है । अनिवार्य कार्य तो प्रत्येक राज्य को अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं । ऐच्छिक कार्य तो राज्य की परिस्थितियों एवं शासन के दृष्टिकोण पर निर्भर होते हैं ।
लोककल्याणकारी राज्य का दायित्व है कि वह ऐच्छिक व अनिवार्य दोनों को महत्त्व दे । लोककल्याणकारी राज्य के अनिवार्य कार्य हैं: 1. बाह्य आक्रमणों से राज्य की रक्षा करना । उस हेतु विभिन्न प्रकार के सैन्य उपकरणों एवं साधनों की भी व्यवस्था करना ।

2. राज्य का दूसरा अनिवार्य कार्य राज्य में शान्ति एवं सुव्यवस्था कायम करना, नागरिकों को कानून के तहत सुशासन प्रदान करना, पुलिस की व्यवस्था करना और नागरिकों के कर्तव्यों का नियमन करना है ।

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 7, Issue 11, November 2020

3. लोककल्याणकारी राज्य को शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था करनी चाहिए ।

4. लोककल्याणकारी राज्य को स्त्री-पुरुष, बच्चों तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों का इस प्रकार नियमन करना चाहिए कि उनके बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो । आर्थिक समानता के आधार पर नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य का अनिवार्य कार्य है ।

5. लोककल्याणकारी राज्य का अनिवार्य कर्तव्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और सद्भावना स्थापित कर विश्वशान्ति व वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को बढ़ाना है ।

6. सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, इसके साथ 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना । विश्वविद्यालय, तकनीकी, औद्योगिक, महिला, प्रौढ़ शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना ।

7. नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षा हेतु समुचित उपाय करना ।

8. उद्योग एवं व्यापार पर नियन्त्रण करना ।

9. कृषि की उन्नति हेतु राज्य को उत्तम बीज, खाद एवं सिंचाई के समुचित साधनों की व्यवस्था करना, कृषकों को कम ब्याज पर देना ।

10. यातायात एवं संचार के लिए सड़कों, रेलों, जल तथा वायुमार्गो, डाक, तार, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन आदि की व्यवस्था करना ।

11. श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रमहितकारी कानून बनाना ।[5]

12. शारीरिक रूप से अपंग एवं वृद्ध व्यक्तियों के लिए इस प्रकार शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना कि वह अपनी जीविकोपार्जन स्वयं कर सकें । इसके लिए वृद्धों और अपंगों के लिए पेंशन इत्यादि की व्यवस्था करना ।

13. प्रत्येक राज्य में कला, साहित्य, विज्ञान को प्रोत्साहन देना ।

14. नागरिकों के लिए आमोद-प्रमोद व मनोरंजन की व्यवस्था करना ।

15. प्राकृतिक सम्पदा के अधिकाधिक उपयोग हेतु राज्य को प्रेरित करना ।

16. सामाजिक कुरीतियों में सती प्रथा, बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्युभोज, पर्दाप्रथा तथा धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध कानून बनाकर उसे समाप्त करना ।

17. बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को रोटी, कपड़ा, मकीन जैसी जीवनरक्षक आवश्यक व मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना ।

18. सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए कार्य करना ।

19. आर्थिक नियोजन, निर्धनता का अन्त, उद्योग व्यापार एवं कृषि का नियमन एवं विकास करना ।

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 7, Issue 11, November 2020

6. लोककल्याणकारी राज्य और भारत:

भारत एक लोककल्याणकारी राज्य है । प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान काल तक इसी लोककल्याण की भावना का निरन्तर विकास होता रहा है । महात्मा गांधी, नेहरू, राममनोहर लोहिया, विनोबा भावे आदि ने भारत को लोककल्याणकारी राज्य बनाने हेतु विभिन्न प्रयास किये । स्व° इंदिरा गांधी ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम लागू कर, स्व° राजीव गांधी ने भी लोककल्याणकारी राज्य के स्वप्न को आगे बढ़ाया ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री भी इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं । समाजवाद, धर्मनिरपेक्षतावादी, सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना तथा अवसरों की समानता लोककल्याणकारी राज्य भारत के ही हैं । राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व सिद्धान्त ऐसे दिशा निर्देश हैं, जो भारत को लोककल्याणकारी राज्य के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं ।

7. उपसंहार:

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि लोककल्याणकारी राज्य जनता की भलाई के लिए ही कार्य करता है । लोककल्याणकारी राज्य अपनी नीतियों, सिद्धान्तों और आदर्शों में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है, जिससे व्यक्तिगत एवं सामूहिक कल्याण सम्भव हो सके ।

राज्य के नागरिकों को ऐसे पर्याप्त अवसर सुलभ हो सकें, जिससे वे अपना सर्वांगीण विकास कर सकें । लोककल्याणकारी राज्य अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करता है, जो सार्वजनिक हित, सार्वजनिक सुरक्षा एवं सार्वजनिक उत्थान के लिए समर्पित होता है ।[4]

निष्कर्ष

परोरपकार की भावना लोककल्याण की भावना से ही पूर्ण होती है और प्रत्येक व्यक्ति को लिये परोपकारी होना अति आवश्यक है। ईश्वर ने मानव को विशेष गुण दिया है वो है बुद्धि और संवेदनशीलता। ये गुण मानवजाति को संसार के अन्य प्राणियों से अलग करता है। वरना केवल अपने स्वार्थ के लिये जीना तो पशुओं का काम है। **लोक-कल्याणकारी राज्य** का विचार नया नहीं है। प्राचीन भारत में 'रामराज्य' की जिस अवधारणा का उल्लेख मिलता है,वह लोक-कल्याण की भावना पर ही आधारित है । किन्तु वर्तमान समय में जिस अर्थ विशेष में इस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है, वह आधुनिक औद्योगीकरण की देन है। **लोक-कल्याणकारी राज्य** के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्र रूप से सर्वांगीण विकास का अवसर प्रदान किया जाता है। लोक-कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य अपनी सम्पूर्ण जनता का सर्वांगीण विकास करना तथा लोकहित करना है। लोकहित से तात्पर्य राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति की अवसर की असमानता को दूर कर उसकी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करना होता है । इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी समुदाय विशेष,वर्ग विशेष अथवा समाज के किसी अंग विशेष का हित साधन मात्र नहीं होता, अपितु सम्पूर्ण समाज का हित साधन करना है ।

- **टी. डब्ल्यू. कैण्ट के अनुसार,**

"लोक-कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। इन समाजसेवाओं के अनेक रूप होते हैं। इनके अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा विद्धावस्था में पेंशन आदि की व्यवस्था होती है। इनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना होता है।" ..

- **डॉ. अब्राहम के अनुसार,**

"वह समाज जहाँ राज्य की शक्ति का प्रयोग निश्चयपूर्वक साधारण आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार परिवर्तित करने के लिए किया जाता है कि सम्पत्ति का अधिक-से-अधिक उचित वितरण हो सके,लोक-कल्याणकारी राज्य कहलाता है।"

- **डॉ. आशीर्वादम के शब्दों में,** "

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 7, Issue 11, November 2020

लोक-कल्याणकारी राज्य का अर्थ है-राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार, ताकि अधिक-से-अधिक लोगों का कल्याण हो सके।" ..

लोक-कल्याणकारी राज्य की विशेषताएँ

- **लोक-कल्याणकारी राज्य की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं**

(1) राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि लोक -

कल्याणकारी सिद्धान्त व्यक्तिवादी विचार के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है और इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य को वे सभी हितकारी कार्य करने चाहिए जिनके करने से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कम या नष्ट नहीं होती।[3]

(2) राजनीतिक सुरक्षा का प्रबन्ध -

ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि सभी व्यक्तियों में राजनीतिक शक्ति निहित हो और वे अपने विवेकानुसार इस शक्ति का प्रयोग कर सकें । इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्न तत्त्व आवश्यक हैं

(i) प्रजातन्त्रात्मक पद्धति -

राजतन्त्र,अधिनायक तन्त्र या कुलीन तन्त्र के अन्तर्गत नागरिकों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। केवल लोकतन्त्रात्मक शासन में ही नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त हैं । अतः एक प्रजातन्त्रीय शासन पद्धति वाला राज्य ही लोक-कल्याणकारी राज्य हो सकता है।

(II) नागरिक स्वतन्त्रताएँ -

राजनीतिक सुरक्षा व शक्ति की कल्पना केवल तभी की जा सकती है जबकि नागरिक स्वतन्त्रता का वातावरण हो अर्थात् नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति और राजनीतिक दलों के संगठन की स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए।

(3) सामाजिक समानता की व्याख्या -

धर्म,जाति, वर्ग व सम्प्रदाय का भेदभाव किए बिना व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में महत्त्व प्रदान करना सामाजिक समानता का पर्याय है।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना -

लोक-कल्याणकारी राज्य सम्पूर्ण विश्व ने पक्तियों के हितों से सम्बन्ध रखता है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना और शान्ति व विकास में योगदान देना इसका लक्ष्य है। लोक-कल्याणकारी राज्य 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की धारणा पर आधारित विचार है ।

(5) आर्थिक सुरक्षा का प्रबन्ध -

लोक-कल्याणकारी राज्य का प्रमुख आधार आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था है । आर्थिक सुरक्षा के प्रबन्ध के लिए निम्न तत्त्वों क होना आवश्यक है-

(i) सभी को रोज़गार के अवसर -

ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो शारीरिक व मानसिक दृष्टि से कार्य करने की क्षमता रखते हैं,राज्य के द्वारा उनकी योग्यतानुसा रोजगार के अवसर अवश्य ही उपलब्ध कराए जाने चाहिए । कार्य करने में असमर्थ व्यक्तियों को जीवनयापन के लिए राज्य द्वारा बेरोजगारी बीमे का प्रबन्ध होना चाहिए।

(ii) सम्पत्ति व आय का समान वितरण -

आर्थिक सुरक्षा तभी स्थापित की जा सकती है जबकि समाज में आर्थिक समानता हो, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने धन के आधार पर किसी का शोषण न कर सके। सम्पत्ति व आय का वितरण समान होन चाहिए।[2]

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 7, Issue 11, November 2020

(iii) न्यूनतम पारिश्रमिक का आश्वासन –

प्रत्येक व्यक्ति को इतना वेत अवश्य दिया जाना चाहिए जिससे वह अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति क सके व न्यूनतम जीवन-स्तर के साथ जीवनयापन कर सके।

अर्थशास्त्री क्राउथर ने कहा है,

"नागरिकों के लिए अधिकार रूप में इन्हें स्वस बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए; निवास,वस्त्र आदि के न्यूनतम जीवन-स्तर की ओर से उन्हें चिन्ता रहित होना चाहिए; उन्हें शिक्षा क पूर्णतया समान अवसर प्राप्त होना चाहिए और बेरोजगारी,बीमारी तथा वृद्धावस्था में दुःख से उनकी रक्षा की जानी चाहिए।"

लोक-कल्याणकारी राज्य के कार्य लोक

कल्याणकारी राज्य के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं

(1) आन्तरिक सुव्यवस्था और विदेशी आक्रमणों से रक्षा –

जब तक एक राज विदेशी आक्रमणों से अपनी भूमि और सम्मान की रक्षा करने की क्षमता नहीं रखत तथा आन्तरिक शान्ति और सुव्यवस्था रखते हुए व्यक्तियों को जीवन की सुरक्षा व आश्वासन नहीं देता,उस समय तक वह राज्य कहलाने का ही अधिकारी नहीं है । इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए राज्य सेना और पुलिस रखता है,सरकारी कर्मचारिय तथा न्याय की व्यवस्था करता है और इन कार्यों से सम्बन्धित व्यय को पूरा करने दे लिए नागरिकों पर कर लगाता है।

(2) कृषि, उद्योग तथा व्यापार का नियमन और विकास-लोक -

कल्याणकारी राज्य के दायित्व एक ऐसे राज्य के द्वारा ही पूरे किए जा सकते हैं जो आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त सम्पन्न हों। अतः इस प्रकार के राज्य द्वारा कृषि, उद्योग तथा व्यापार के नियमन एवं विकास का कार्य किया जाना चाहिए । इसमें मुद्रा निर्माण,प्रामाणिक माप और तोल की व्यवस्था,व्यवसायों का नियमन, कृषकों को राजकोषीय सहायता, नहरों का निर्माण, बीज वितरण के लिए गोदाम खोलना और कृषि सुधार आदि सम्मिलित हैं। राज्य के द्वारा जंगल आदि प्राकृतिक साधनों और सम्पत्ति की रक्षा की जानी चाहिए और कृषि तथा उद्योगों के बीच सन्तुलन स्थापित किया जाना चाहिए।

(3) आर्थिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्य –

लोक-कल्याणकारी राज्य का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य आर्थिक सुरक्षा सम्बन्धी होता है । आर्थिक सुरक्षा के अन्तर्गत अनेक बातें सम्मिलित हैं, जिसमें सभी व्यक्तियों को रोजगार और अधिकतम समानता की स्थापना प्रमुख है । ऐसे सभी व्यक्तियों को,जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कार्य करने की क्षमता रखते हैं, राज्य के द्वारा उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार किसी-न-किसी प्रकार का कार्य अवश्य ही दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ है या राज्य जिन्हें कार्य प्रदान नहीं कर सका है,उनके लिए राज्य द्वारा जीवन-निर्वाह भत्ते की व्यवस्था की जानी चाहिए।[1]

(4) जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना –

लोक-कल्याणकारी राज्य के द्वारा नागरिकों को न्यूनतम जीवन-स्तर की गारण्टी दी जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि नागरिकों को अपने आपको स्वस्थ बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन, वस्त्र,निवास,शिक्षा और स्वास्थ्य की सामान्य सुविधाएँ अवश्य ही प्राप्त हों। इसके साथ ही राज्य के द्वारा नागरिकों के जीवन-स्तर को निरन्तर ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 7, Issue 11, November 2020

(5) शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य -

लोक-कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों के लिए उन सभी सुविधाओं की व्यवस्था करना होता है जो उनके व्यक्तित्व के विकास हेतु सहायक और आवश्यक हैं । इस दृष्टि से शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रकार का राज्य शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करता है और एक निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क किया जाता है। औद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था भी राज्य द्वारा की जाती है। इसी प्रकार लोक-कल्याणकारी राज्य द्वारा चिकित्सालयों, प्रसूतिगृहों आदि की स्थापना की जाती है, जिनका उपयोग जन साधारण निःशुल्क कर सकते हैं।

(6) सार्वजनिक सुविधा सम्बन्धी कार्य-लोक -

कल्याणकारी राज्य के द्वारा परिवहन, संचार, सिंचाई, बैंक,विधुत्, कृषि के नवीनतम उपकरण आदि की व्यवस्था से सम्बन्धित सार्वजनिक सुविधा के कार्य भी किए जाते हैं। इन सुविधाओं के लिए राज्य के द्वारा उचित शुल्क भी वसूल किया जाता है और जो लाभ होता है, वह सार्वजनिक कोष में जाता है तथा उसका उपयोग भी स्वाभाविक रूप से अधिक सार्वजनिक सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है।

(7) समाज-सुधार -

कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य व्यक्तियों का न केवल आर्थिक, अपितु सामाजिक कल्याण करना भी होता है। इस दृष्टि से राज्य के द्वारा मद्यपान,बाल-विवाह,छुआछूत,जाति व्यवस्था आदि परम्परागत सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उपाय किए जाने चाहिए।

(8) आमोद-प्रमोद की सुविधाएँ -

जनता को स्वस्थ मनोरंजन की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए राज्य के द्वारा सार्वजनिक उद्यानों,क्रीडा क्षेत्रों, सार्वजनिक तरणतालों सिनेमागृहों, रंगमंच और रेडियो आदि का प्रबन्ध करना चाहिए। . लोक-कल्याणकारी राज्य की आलोचना

लोक-कल्याणकारी राज्य की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है

(1) व्यक्ति की स्वतन्त्रता का हनन -

लोक-कल्याणकारी राज्य में राज्य को ।अधिकाधिक अधिकार देकर शक्तिशाली बनाया जाता है। राज्य जितना अधिक शक्तिशाली होता है, वह स्वतन्त्रता की भावना को उतना ही अधिक कुचलता है । व्यक्ति के विकास की दृष्टि से राज्य की शक्ति में वृद्धि अवांछनीय है।[2]

(2) नौकरशाही का बोलबाला -

राज्य को अपने विस्तृत कार्यों को करने के लिए नौकरशाही पर बहुत निर्भर रहना पड़ता है। अतः नौकरशाही अत्यन्त प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाती है। यह अत्यधिक शक्ति और अत्यधिक भ्रष्टाचार को जन्म देती है।

(3) अकर्मण्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि -

लोक-कल्याणकारी राज्य में समाज में निठल्ले, अकर्मण्य और निष्क्रिय व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती है। जब राज्य की ओर से बेरोजगारी भत्ते आदि की राशि मुफ्त में मिलने लगती है, तो बेकार लोग काम ढूँढने का प्रयत्न नहीं करते हैं,उनमें मुफ्तखोरी की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। यह उन्हें आलसी बना देती है और उनमें परिश्रम की भावना का लोप हो जाता है। इस प्रकार कल्याणकारी राज्य सार्वजनिक कोष से मौज उड़ाने वाले अपाहिजों का राज्य बन जाता है।

(4) अधिक व्ययशील -

राज्य व्यक्ति के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य रता है। अतः उन कार्यों को पूरा करने के लिए उसे अधिक व्ययसाध्य व्यवस्था ।पनानी पड़ती है। इसलिए यह व्यवस्था अपेक्षाकृत खर्चीली होती है।

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 7, Issue 11, November 2020

"वर्तमान समय में **लोक-कल्याणकारी राज्य** यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय राज्य माने जाते हैं, किन्तु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर आघात करने, नौकरशाही का भय होने तथा त्यधिक खर्चीली व्यवस्था होने के कारण इनकी आलोचना भी की जाती है। इन पों के होते हुए भी लोक-कल्याणकारी राज्य के महत्त्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।"

क्या भारत एक लोक-कल्याणकारी राज्य है ?

भारत में लोक-कल्याणकारी राज्य की परम्परा बहत प्राचीन है। ई. पू. चौथी शताब्दी में मगध सम्राट चन्द्रगुप्त के महामात्य कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ 'अर्थशास्त्र में यह व्यवस्था की थी कि राजा को प्रजा का पालन पिता की तरह करना चाहिए। बालक, बूढ़े,रोगी और विपत्तिग्रस्त अनाथ व्यक्तियों के भरण-पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए । कालिदास ने 'राजा' शब्द की व्युत्पत्ति रंजन' अर्थात् 'प्रसन्न करने' का अर्थ देने वाली धातु से करते हुए राजा का प्रमुख कार्य प्रजा का सब प्रकार से कल्याण करना बताया था। अपनी इस प्राचीन परम्परा के अनुसार भारत के संविधान नर्माता लोक-कल्याणकारी राज्य के विचार से प्रेरित थे। लेकिन एक गोक-कल्याणकारी राज्य से जिन कार्यों को करने की अपेक्षा की जाती है,उन कार्यों का निष्पादन करने के लिए बहुत अधिक आर्थिक शक्ति और साधनों की भावश्यकता होती है। इंग्लैण्ड के अधीन दीर्घकालीन दासता के उपरान्त व-स्वाधीनता प्राप्त भारत के पास इतने साधन नहीं थे कि राज्य इस प्रगर के नहितकारी कार्यों को कर सकता।[3] अतः संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के ति-निदेशक तत्त्वों में इस बात की घोषणा की गई है कि हमारा उद्देश्य भारत को एक नोक-कल्याणकारी राज्य का स्वरूप प्रदान करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधान के नीति-निदेशक तत्त्वों में निम्न बातों का उल्लेख किया गया है

राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि

(i) समान रूप से पुरुषों पौर स्त्रियों तथा सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हों।

(ii) राष्ट्रीय बन का स्वामित्व और वितरण सब के हित में हो ।

(iii) पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले ।

(iv) बालकों का शोषण न किया जाए आदि।

(2) राज्य अपने आर्थिक साधनों की सीमा में काम दिलाने तथा बेकारी, बुढ़ापा, मारी व अंगहीन होने की दशा में सार्वजनिक सहायता देने की व्यवस्था करे।

(3) राज्य काम करने की दशाओं में सुधार करे तथा स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता का प्रबन्ध करे।

(4) राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य को सुधारे तथा उनके आहार, पुष्टि स्तर और जीवन-स्तर को ऊँचा उठाए।

उपर्युक्त बातों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने **लोक-कल्याणकारी राज्य** की स्थापना की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। लोक-कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त नियोजन का सहारा लिया है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में लोक-कल्याण के लिए अनेक योजनाएँ स्वीकार की गई हैं। शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का विस्तार हो रहा है । आर्थिक क्षेत्र में भूमि सुधार, चकबन्दी और रोजगार सम्बन्धी कानून बने हैं। मजदूरों के कल्याण के लिए अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है।

यद्यपि वर्तमान समय तक भारत में पूर्ण लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना सम्भव नहीं हो सकी है और चारों ओर गरीबी, बेकारी व अज्ञानता का साम्राज्य है, लोकन इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं और

यह आशा की जाती है कि समय की गति के साथ-साथ इस दिशा की ओर बढ़ने के हमारे प्रयासों में तीव्रता और गति आएगी।[5]

संदर्भ

1. मोदी का 7 RCR में प्रवेश Archived 2016-09-12 at the Wayback Machine, द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया
2. ↑ "7 RCR के निकट के मेट्रो स्टेशन बंद". Economic Times. Aug 26, 2011. मूल से 1 जुलाई 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 30 नवंबर 2016.
3. ↑ "cwg के विषय पर प्रधानमंत्री आवास में बैठक". Sify.com. 2010-08-14. मूल से 12 नवंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 30 नवंबर 2016.
4. ↑ "Matherani recalled; Cong core group meets". The Tribune. December 3, 2005. मूल से 4 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 30 नवंबर 2016.
5. ↑ रेस कोर्स रोड अब इतिहास है-, एनडीटीवी Archived 2016 at the Wayback Machine, ७ रेस कोर्स रोड का नाम परिवर्तन

Impact Factor:
7.580

INTERNATIONAL JOURNAL
OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

+91 99405 72462 +91 63819 07438 ijmrsetm@gmail.com